RCMS 2012/0006

मि0न0 82/2012 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम हीरालाल, रामप्रसाद,रामभरोसी वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि गत खसरा नं0 1428 रकबा 195 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0न0 1482 ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की मुतागिक एकीकरण सेटलमेन्ट खतोनी सम्वत् 2013–2032 में खाता सरकार किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। उक्त आराजी सम्वत् 2043 से पूर्व मे शंकर लाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी दीगोद के नाम दर्ज हो गई है। अतः खाता सं0 835 की प्रविष्टि व प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण सं0 842 दिनांक 24.06.2002 ग्राम दीगोद निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब पूर्ववत दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी हीरालाल पुत्र शंकर लाल मेघवाल नि0 दीगोद व पारबती बाई बेवा शंकर लाल की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय के पत्र कमांक /रीडर/एडीएम/2019/2305 दिनांक 12.10.2015, 184 दि0 25.1.2016 अ0 शा0 पत्र क्रमांक :रीडर/2016/ 704 दि0 28.3.2016, 1468 दि0 14.6.16,2214 दि0 25.8.16,376 दि0 13.2.17,1451 दि0 24.7.17,1989 दि0 30.10.17, 190 दि0 21.2.18,693 दि0 3.8.18,747 दि0 5.8.19,1066 दि0 21.10.19 से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद मृतक अप्रार्थी नं0 1 व 6 के वारिसान की जांच कर वासियान के नाम व सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	